न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00264

1. रामदेव पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी अरनेठा पोस्ट अंतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामलाल पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम अरनेठा पोस्ट आंतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामफूल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी अरनेठा पोस्ट आंतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीलाल आत्मज भूरा जाति धाकड निवासी अरनेठा ।
2. रामप्रसाद आत्मज भूरा जाति धाकड निवासी अरनेठा ।
3. रमेश आत्मज भूरा जाति धाकड निवासी अरनेठा ।
4. गिर्राज आत्मज भूरा जाति धाकड निवासी अरनेठा ।
5. मनफूल आत्मज भूरा जाति धाकड निवासी अरनेठा ।
6. देवलाल आत्मज छीतर लाल जाति गुर्जर निवासी अरनेठा ।
7. बद्रीलाल आत्मज गोकुल जाति गुर्जर निवासी अनरेठा पोस्ट आंतरदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 6 व 7 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अरनेठा तहसील नैनवा जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 230

रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादीगण का पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में देवीलाल आत्मज छीतर लाल हिस्सा 1/2, बद्रीलाल आत्मज गोकुल हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज हैं । उक्त भूमि को वादी ने 50 वर्ष पूर्व नोतोड से आबाद कर काबिल काश्त बनाया था । प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज का फायदा उठाकर उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से प्रतिवादी क्रम 6 व 7 को बेचान कर दी । उक्त बेचान वादीगण के विरूद्ध प्रभावशून्य है । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जावे । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान इन्द्राज को विलोपित कर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बेचान एवं हस्तान्तरित नहीं करें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 के द्वारा दावा खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण अपीलान्ट का पिछले 50 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित कर दिया था तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2013, पंचनामा ग्राम पंचायत एवं ग्राम वासियान नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2069–72, मौका पर्चा ग्राम अरनेठा पेश कर अपना कब्जा साबित कर दिया था । अपीलान्ट के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई थी । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण तनकीयात कायमी में चल रहा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये ही इसे लोक अदालत में रखते हुए खारिज कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज

दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था और पत्रावली तनकीयात कायमी में लम्बित थी और इसमें दिनांक 27.06.2017 की आगामी तारीख पेशी नियत की गई । इससे पूर्व ही दिनांक 29.05.2017 को इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । राजीनामे के अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात पर उभयक्षीय साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना अनिवार्य होता है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट वादी का है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कब्जे के आधार पर दावा पेश किया है जो विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है । प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली कायम तनकीयात में लम्बित थी और दिनांक 27.06.2017 की आगामी तारीख पेशी नियत थी । इससे पूर्व ही इसको दिनांक 29.05.2017 को लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया । बिना राजीनामा पेश किये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा